समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक ९, नं. ५ जनवरी - जून २०२०

विषय सूंची

प्रस्तावना

१. समाचार और जानकारी

- पईविहिर गाँव के आदिवासियों ने मेलघाट में अपने सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त गाँव में वन्यजीवों की जनगणना की
- एक समुदाय के हॉर्नबिल के आवास क्षेत्र के संरक्षण में मदद के प्रयास
- अरुणाचल प्रदेश: ग्रामवासियों ने अपने वन को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया

२. आयोजन

- आई.सी.सी.ए. प्रादेशिकरण बैठक

३. दृष्टिकोण

- सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र: ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में नीतिगत मुद्दे
- समुदाय की ताकत

४. आशा की किरण

- मणिपुर की लोकटक झील के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी

५. निमंत्रण

- आई.सी.सी.ए. संघ की सदस्यता

६. प्रत्याशा में

- नेपाली हिमालय में सुंबा टेरिटरी ऑफ लाइफ में अहिंसा उद्घोषणा के १०० वर्ष

सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष अंक

प्रस्तावना

कोविड–१९ के प्रभावों ने आदिवासियों व अन्य वनवासियों को कई तरीकों से और ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। आजीविका विकल्पों का खो जाना, स्थानीय बाज़ारों का बंद हो जाना, मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की गंभीर कमी के कारण स्वास्थ्य की स्थितियाँ गंभीर हो गई हैं क्योंकि उनके बीच वैसे भी स्थानिक कुपोषण रहता है और रोग प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। जागरूकता की कमी और पहले से ही बुरी हालत में काम कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने स्थिति और भी खराब बना दी है। ठीक से व्यवस्था बनाए बिना, जल्दबाज़ी में लॉकडाउन लागू करने से पहले, सरकार को गरीब लोगों (जिनमें से बहुत से लोग आदिवासी हैं) पर होने वाले संभावित प्रभावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था और पहले से ही समाधान की रणनीति तैयार रखनी चाहिए थी।

दुर्भाग्यवश, आदिवासी समूहों, विशेषज्ञों और विरोधी पक्ष के नेताओं की लगातार अपील के बावजूद, आत्म–निर्भर भारत के लिए कोविड प्रतिक्रिया योजना में आदिवासियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को ३० करोड़ आदिवासियों और अन्य वनवासियों, जो कि देश की लगभग एक–चौथाई जनसंख्या है, की कोई चिंता नहीं है, जिन पर कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के सबसे गंभीर प्रभाव हुए हैं। केन्द्रीय सरकार और आदिवासी कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग कोविड प्रतिक्रिया योजना बनानी चाहिए थी और राज्य सरकारों को उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक दिशा–निर्देश देने चाहिए थे। विशेषज्ञों ने भी सरकार की इस संदर्भ में विफलता पर व्याकुलता व्यक्त की है। उन्होंने रेखांकित किया कि सूक्ष्म वनोपज इकट्ठा करना – जो कि आदिवासी समुदायों के लिए आमदनी का मुख्य स्त्रोत है – पर प्रभाव पड़ा और इसके इन समुदायों के लिए दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं। १० करोड़ वनवासियों की भोजन, आश्रय, औषधियों और आमदनी के लिए सूक्ष्म वनोपज पर निर्भरता होने के बावजूद, उनको नज़रंदाज़ किया जाता है। उन्हें बदनामी, विस्थापन और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है क्योंकि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। नागरिक समाज के कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, अर्जुन मुंडा व अन्य मंत्रियों से आग्रह किया कि वे करोड़ों आदिवासी समूहों और वनवासियों की आजीविकाओं और उत्तरजीविता पर हो रहे लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान दें। इतिहासकार रामचन्द्र गुहा ने कहा है, पहले से ही वंचित आदिवासी समुदायों और वनवासियों पर कोविड आपदा और लॉकडाउन के भीषण प्रभाव हुए हैं; सरकार को उनकी पीड़ा कम करने के लिए काम करना ज़रूरी है। लेकिन इसके विपरीत, देश भर से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टें दर्शाती हैं कि ऊपर दी गई स्थिति के साथ–साथ आदिवासियों और अन्य स्थानीय समुदायों को वैसे भी वन, संरक्षण और आर्थिक नीतियों के कारण जिस प्रकार के अत्याचार और अन्याय सहने पड़ते हैं, वे इस महामारी में जारी रहे और इस के कारण और भी बढ़ गए। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान, आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वन भूमि पर ज़बरदस्ती प्रतिपूरक वनीकरण पौधारोपण किया गया, और इन क्षेत्रों में बाड़बंदी भी की गई जिससे कि वे इन क्षेत्रों के अंदर न जा पाएँ, जिसके लिए संबंधित समुदायों से कोई चर्चा नहीं की गई और न ही उनकी सहमति ली गई। यह गतिविधियां न केवल वनाधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.)[१] के अंतर्गत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वे उनकी खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं और स्थानीय कृषि–जैवविविधता का विनाश करती हैं जो कि आदिवासी समुदायों का भरण–पोषण करती है। अप्रैल–जून का समय जब वे प्रमुख रूप से सूक्ष्म वनोपज एकत्रित करते हैं, उसी समय लॉकडाउन लागू रहा, जिससे उनकी व्यापार और मूल्य शृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई क्योंकि व्यापारी सूक्ष्म वनोपज खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इस मार्गावरोध को हटाने के लिए सरकार ने जो योजनाएँ निकालीं, जैसे कि वन धन विकास और न्यूनतम सहयोग मूल्य, वे आदिवासी क्षेत्रों में किसी संस्थानिक सहयोग के बिना अपर्याप्त हैं। विशेषज्ञों ने भी मांग की है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोश अधिनियम (सी.ए.एम.पी.ए.) के अंतर्गत एकत्रित की गई विशाल राशि ग्राम सभाओं को दी जानी चाहिए जिससे कि वे उसे उचित तरीके से लॉकडाउन द्वारा लाई गई चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, उनकी स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में मोबाईल हेल्थ यूनिट स्थापित करके सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ परीक्षण और स्वास्थ्य देखरेख के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हों। अन्य मांगों में शामिल है वनाधिकार अधिनियम का प्रभावकारी क्रियान्वयन जिससे कि आदिवासी और वनाश्रित समुदायों की भू एवं वन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और लॉकडाउन के समय में दिए गए वन स्वीकृति निर्णयों और अन्य दिशा निर्देशों को वापस लेना; और वन विभाग के नियंत्रण में आदिवासी समुदायों और ग्राम सभाओं के लिए सी.ए.एम.पी.ए. कोश से पर्याप्त राशि (रु. ५०,००० करोड़) जारी करना। लेकिन फिर भी, इस सब के बावजूद, ऐसे मुश्किल समय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एकमात्र प्रतिक्रिया रही कि कई संरक्षित क्षेत्रों को व्यापार के लिए खोल दिया गया, जो कि मविकासफरूपी देवता की वेदी पर बलिदान देने के समान है।

ऊपर दी गई स्थिति पैदा होने के पीछे एक मुख्य कारण है कि उनकी भूमि और आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र पर इन समुदायों

१. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम २००६

के अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम २००६ (एफ.आर.ए.) का उद्देश्य है आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना। इसके लिए इसमें सभी वन क्षेत्रों में, जिसमें संरक्षित क्षेत्र (पी.ए.) भी शामिल हैं, निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

क. व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन तथा भूमि अधिकार;

ख. संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार;

ग. उनके वनों का अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण किए जाने से पहले, ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से स्वतंत्र, पूर्व, एवं सूचित सहमति का अधिकार;

घ. पुनर्स्थापन योजना और उसके संतोषजनक क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र, पूर्व, एवं सूचित सहमति का अधिकार।

लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छे इरादे (या कानून) आसानी से प्रभावकारी क्रियान्वयन में तब्दील नहीं होते। उसकी घोषणा के बाद से ही, उन्हीं नोडल एजेंसियों की इतनी सुस्ती और प्रतिरोध रहा है जो इस सकारात्मक अधिनियम को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जो प्रावधान समुदायों को वन क्षेत्रों की सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार देते हैं, वे वास्तव में सामुदायिक सशक्तिकरण, विकेन्द्रीकरण और वन प्रशासन के लोकतांत्रिकरण की दिशा में सही कदम हैं। इस अधिकार की घोषणा सही दिशा में लिया गया एक कदम था जो कि देशज और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों (आई.सी.सी.ए.) की विचारधारा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समानांतर है। आई.सी.सी.ए. प्राकृतिक और/या संशोधित पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं जहां महत्वपूर्ण जैविविधता मूल्य, पारिस्थितिकीय सेवाएं और सांस्कृतिक मूल्य उपलब्ध होते हैं, जिनका देशज लोग और स्थानीय समुदाय, आसीन और घुमंतू दोनों, पारंपरिक कानूनों व अन्य प्रभावकारी तरीकों के माध्यम से स्वेच्छा से संरक्षण करते हैं। आई.सी.सी.ए. में ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनमें न्यूनतम से लेकर काफ़ी अधिक हद तक मानवीय प्रभाव हो सकता है। साथ ही, इन क्षेत्रों में नए खतरों या अवसरों को संबोधित करने के लिए समुदायों द्वारा उठाए गए पारंपरिक प्रथाओं या नई पहल की निरंतरता, पुनरुद्धार या संशोधन के उदाहरण भी मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कई क्षेत्र अक्षत क्षेत्र हैं जो बहुत छोटे से लेकर विशाल भूमि और जलक्षेत्र हैं।

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों ने नई सहस्त्राब्दी के शुरुआती वर्षों में भूमंडलीय संरक्षण पृष्ठभूमि में कदम रखा। विभिन्न नामों से पहचान किए जाने वाले – देशज संरक्षित क्षेत्र, जैवसांस्कृतिक धरोहर क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, और कई और नाम – इनकी प्रथा कोई नई नहीं है। देशज लोगों द्वारा स्थलों और प्रजातियों का संरक्षण युगों पुरानी प्रथा है। लेकिन यह तथ्य कि वे कई तरीकों से पारंपरिक, सरकार द्वारा प्रबंधित मसंरक्षण क्षेत्रोंफकी ही तरह हैं, इसे सहस्त्राब्दी की शुरुआत में ही मान्यता दी गई। इस मान्यता को बढ़ावा देने वाली दो घटनाएँ थीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉनज़रवेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) की वर्ल्ड पार्क्स काँग्रेस (डब्लू.पी. सी., डरबन २००३) और सेवन्थ कॉनफेरेंस ऑफ पार्टीज़ टु द कन्वेन्शन ऑन बायोलॉजीकल डाईवर्सिटी (सी.बी.डी., कुआला लम्पूर २००४)। इन दोनों बैठकों में दुनिया के लगभग सभी देशों से हज़ारों संरक्षणकर्ताओं ने भाग लिया, और उन्होंने सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों (सी.सी.ए.) की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हुए उसका समर्थन किया। सी.बी.डी प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ ने प्रत्यक्ष रूप से देशों से कहा कि वे वर्ष २००८ तक सी.सी.ए. क्षेत्रों को मान्यता देने, सहयोग करने और अन्य कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आई.सी.सी.ए. को परिभाषित करने वाले लक्षणों[२] के तीन पहलू देखे जा सकते हैं:

१. एक समुदाय सांस्कृतिक रूप से और/ या उत्तरजीविता और आजीविका के स्त्रोत के लिए किसी सुपरिभाषित पारिस्थितिकीय तंत्र (या किसी प्रजाति और उसके आवास स्थल) के साथ नज़दीकी जुड़ाव रखता है;
२. सामुदायिक प्रबंधन निर्णय और प्रयास पारिस्थितिकीय तंत्र के आवास स्थलों, प्रजातियों, पारिस्थितिकीय सेवाओं और उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण में मदद करते हैं चाहें इस प्रबंधन का सचेत प्रयास संरक्षण न हो, और, उदाहरण के लिए, भौतिक आजीविकाओं, जल संरक्षण, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगहों की सुरक्षा, आदि ही क्यों न हो;
३. स्थल के प्रबंधन संबंधित निर्णय लेने (प्रशासन) और उनके क्रियान्वयन में समुदाय की प्रमुख भूमिका हो, जिसका मतलब है कि सामुदायिक संस्थानों के पास नियम लागू करने की क्षमता है; कई स्थितियों में सहभागिता या साझेदारी में अन्य साझेदार भी हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित समुदाय के हाथ में ही है।

ऊपर देख कर समझा जा सकता है कि किस प्रकार एक ओर एफ.आर.ए. और दूसरी ओर आई.सी.सी.ए. क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर परस्पर पूरक प्रयास हैं। एफ.आर.ए. के सी.एफ.आर. प्रावधान के प्रभावकारी क्रियान्वयन से न सिर्फ यह सुनिश्चित होगा कि देश के कानून का पालन होगा, बल्कि साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी भी पूरी होगी।

– नीमा पाठक ब्रूम और मिलिंद वानी

---

२. देखें https://www.iucn.org/content/indigenous-and-community-conserved-areas-a-bold-new-frontier-conservation

१. समाचार और जानकारी[३]

पईविहिर गाँव के आदिवासियों ने मेलघाट में अपने सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त गाँव में वन्यजीवों की जनगणना की

मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र (महाराष्ट्र राज्य) के पईविहिर गाँव ने अपने वन में इस वर्ष में पाँचवी बार वन्यजीव जनगणना की है। यह गाँव अपने आसपास/सीमा से लगते वन के १९२ है. क्षेत्र का संचालन करता आया है, जिस पर उन्हें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम २००६ के अंतर्गत, आठ वर्ष पहले अधिकार दिए गए थे। गाँव के छः युवाओं ने जंगल में जल विवरों के पास दो मचानें बनाईं और २७ नीलगाय, २९ जंगली सूअर, ३ मोरों के अतिरिक्त हिरण, काले डब वाले खरगोश, किंगफिशर, जंगली मुर्गियाँ और अन्य जानवरों को रिकार्ड किया। यह प्रयोग निसर्गानुभाव कार्यक्रम, जिसे महाराष्ट्र वन विभाग संचालित कर रहा था, के समानांतर किया गया।

गाँव ने अपने वन के लोकतान्त्रिक प्रशासन के लिए विभिन्न नियम भी बनाए हैं जिनमें शामिल है मिट्टी और जल संरक्षण का काम, वन सुरक्षा, वनाग्नि और शिकार पर निगरानी रखना, पेड़ों के कटान और चरान पर प्रतिबंध, इत्यादि।

स्त्रोत: हितावड़ा, नागपूर सिटी लाइन, दिनांक ११ मई २०२०.

एक समुदाय के हॉर्नबिल के आवास क्षेत्र के संरक्षण में मदद के प्रयास

केरल के पालक्कड़ और त्रिसुर जिलों में आदिरापल्ली– वड़चल – नेलीयमपथी वनों में नौ बस्तियां ऐसे एकमात्र क्षेत्र के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार हैं जहां दक्षिण भारत की चारों हॉर्नबिल प्रजातियाँ (द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल (बुसेरोस बीकॉर्निस), मलाबार पाइड हॉर्नबिल (एंथ्राकोसेरोस कोरोनेटस), इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (ऑसीसेरोस बाईरोस्टरिस) और मलाबार ग्रे हॉर्नबिल (ऑसीसेरोस ग्रीसीयस) पाई जाती हैं। कदर समुदाय, जो इन बस्तियों में रहते हैं, वे विशिष्ट रूप से अतिसंवेदनशील आदिवासी समूह (पी.वी. टी.जी.) के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं और अपनी घुमंतू जीवनशैली और झूम खेती के लिए जाने जाते हैं।

कदर समुदाय ने वर्ष २०१५ में प्रस्तावित आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को अस्वीकृत कर दिया था जो वड़चल में १६३ कदर परिवारों और पोकलप्परा बस्ती[४] से १७ परिवारों को विस्थापित करने वाली थी। इसके लिए उन्होंने लगभग ४०,००० हेक्टेयर वन भूमि पर सी.एफ.आर. अधिकारों का दावा किया जिन्हें उसी वर्ष मान्यता दे दी गई थी।

७२ कदर युवाओं को, वेस्टर्न घाट्स हॉर्नबिल फाउंडेशन के मार्गदर्शन, और केरल वन विभाग की सहभागिता में हॉर्नबिल आवास के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वे शिकार की घटनाओं पर निगरानी रखेंगे और उनके घोंसलों वाले पेड़ों को कटने और आग से बचाएंगे, और बच्चे देने के समय के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करेंगे।

स्त्रोत: के.ए. शाजी द्वारा लिखित, मोंगाबे इंडिया, दिनांक १६ दिसंबर २०१९ (https://india.mongabay. com/2019/12/a-community-rallies-around-hornbill-habitat-to-aid-conservation)

अरुणाचल प्रदेश: ग्रामवासियों ने अपने वन को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया

पश्चिम कामेंग ज़िले में चुग ग्राम ने डब्लू.डब्लू.एफ. के मार्गदर्शन में अपने वन के १०० वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। गाँव ने वन में शिकार और लकड़ी कटान पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और कैमरा ट्रेप्स तथा साइन सर्वे का उपयोग करते हुए वन्यजीव जनगणना भी की। उन्होंने लगभग १८ स्तनधारी प्रजातियाँ, २१ पक्षी प्रजातियाँ और छः तितलियों की प्रजातियों की पहचान की, जिनमें लाल पांडा, कस्तूरी हिरण, ताकिन, एशियाई काला भालू, हिमालयी मोनाल और सेटिर ट्रेगोपैन शामिल हैं।

स्त्रोत: द अरुणाचल टाइम्स, दिनांक ४ जनवरी २०२० (https://arunachaltimes.in/index. php/2020/01/04/villagers-declare-their-forest-cca/)

✧✧

३. इस अंश के लिए कल्पवृक्ष की श्रृति अजीत (shrutiajit@gmail.com) ने टिप्पणी दी है।

४. https://www.thehindu.com/news/national/kerala/athirappilly-project-unlikely/article8205169.ece

२. आयोजन

आई.सी.सी.ए. प्रादेशिकरण बैठक

आई.सी.सी.ए. एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो आई.सी.सी.ए. (टेरीटरीज़ एण्ड एरियाज़ कन्ज़र्वड बाइ इन्डिजीनस पीपल्स एण्ड लोकल कम्यूनिटीज़) क्षेत्रों को सही तरीके से मान्यता दिए जाने और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह संघ ज़मीनी स्तर के प्रयासों को सहयोग देता है, राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आई.सी.सी.ए. से संबंधित बेहतर नीतियों और प्रथाओं के लिए पैरवी करता है।

नवंबर २०१९ में उदयपुर, राजस्थान के प्रकृति साधना केंद्र में आई. सी.सी.ए. संघ की साउथ एशिया रीजनल असेंबली आयोजित की गई। इसका उद्देश्य था संघ के सदस्यों और मानद सदस्यों, उसके सहभागियों, और दक्षिण एशिया में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के विषय पर काम करने वाले अन्य लोगों को एकसाथ लाना, जिससे कि वे एक–दूसरे के अनुभवों को बाँट कर उनसे सीख सकें, और दक्षिण एशिया में सामुदायिक संरक्षण को आगे ले जाने के लिए रास्ता दिखा सकें। भारत से बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की और उनके साथ नेपाल और बांग्लादेश के व्यक्ति और संस्थाएँ भी जुड़ीं। भागीदारों में विभिन्न गांवों और स्थानीय प्रयासों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज संस्थाएँ, व्यक्तिगत शोधकर्ता और शैक्षणिक भी शामिल थे।

भागीदारों और उनके काम के विस्तृत परिचय के बाद, भूमंडलीय, दक्षिण एशियाई और भारतीय संदर्भों में आई.सी.सी.ए. पर एक परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया।

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में संरक्षण और नवीनीकरण पर सत्र में पारंपरिक संरक्षण प्रणालियों में कमियों की पहचान की गई, मौजूदा संरक्षण कार्यप्रणालियों और साथ–साथ विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के संरक्षण के लिए ज़रूरी सहयोग के विषयों पर चर्चा की गई। नवीनीकरण प्रयासों में सामुदायिक स्वामित्व पर ज़ोर दिया गया।

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के अंतर्गत तुल्यता के मुद्दों पर सत्र में जेन्डर, जाति और युवा दृष्टिकोण के विषयों पर ज़ोर दिया गया।

समूह के सदस्यों ने आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में प्रशासन प्रणालियों के विषय पर अपने विचार साझा किएः स्थानीय संदर्भ के अनुरूप, प्रशासन प्रणालियां अनुकूली या बेहद विविधतापूर्ण, मगर फिर भी पारदर्शिता, तुल्यता, न्याय, सामूहिक और खुली चर्चाओं, और समावेश के सार्वभौमिक सिद्धांतों के अंतर्गत हो सकती हैं।

एक ब्रेक आउट समूह में ज्ञान सृजन और हस्तांतरण के तरीकों पर चर्चा हुई, जिसमें पारंपरिक और नई प्रणालियों पर चर्चा शामिल रही। दूसरे समूह में प्रबंधन, राजकीय तंत्र के साथ संबंधों, और बेहतर प्रबंधन प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियों के मेल की आवश्यकता पर चर्चा की गई। तीसरे समूह ने आई.सी.सी.ए. से संबंधित विभिन्न अजीविकाओं और व्यवसायों, उनके समुदायों और पारिस्थितिकीय तंत्रों पर होने वाले प्रभावों, और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषय पर चर्चा की।

विविध प्रस्तुतियों में आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत सहयोग और विभिन्न देशों में हो रहे बदलावों, भारत के जैवविविधता अधिनियम, २००२ और वनाधिकार अधिनियम, २००६ जैसे परिवर्तनकारी कानूनों की संभावनाओं, और वैकल्पिक तथा मौलिक पारिस्थितिकीय लोकतंत्र के व्यापक संदर्भ में आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित किया गया। आई.सी.सी.ए. संघ की यू.एन. एनवायरमेंट वर्ल्ड कंज़रवेशन मोनिट्रिंग सेंटर रजिस्ट्री प्रक्रिया और सदस्यता भी चर्चा के विषय रहे।

भागीदारों ने विभिन्न मुद्दों जैसे कि घास के मैदान और सवाना क्षेत्र, झील और नदी पारिस्थितिकीय तंत्र, हिमालयी पर्वत पारिस्थितिकीय तंत्र, वन, सीमांतर आई.सी.सी.ए., आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में जेन्डर, और आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में युवा – पर विषयगत समूह बनाए। इन छोटे समूहों में स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एकत्रित होंगे। वे अन्य पहलुओं के साथ–साथ पहुँच बढ़ाने, नेटवर्किंग, दस्तावेज़ीकरण, ज्ञान सृजन, और पैरवी पर काम करेंगे।

व्यापक दक्षिण एशिया नेटवर्क संरक्षण गतिविधियों को आजीविकाओं, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल एवं क्षमता वर्धन, पैरवी एवं कानूनी सहयोग, विनिमय भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के रक्षकों के लिए फ़ेलोशिप–आधारित कार्यक्रम तैयार करने, संघर्षशील क्षेत्रों में समुदायों को सहयोग करने और अन्य गतिविधियों के बीच जुड़ाव बनाने पर ध्यान देगा।

दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए समन्वयक की भूमिका में कल्पवृक्ष जारी रहेगा।

लेखक: तान्या मजूमदार (tanyamajmudargmail.com)

संस्था: कल्पवृक्ष

वेबसाईट: www.kalparish.org

✧✧

३. दृष्टिकोण

सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र: ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में नीतिगत मुद्दे

फिकरेट बेरकेस

संपादकीय टिप्पणी: हालांकि यह लेख कुछ समय पहले का है, इसे यहाँ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को विस्तृत जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

प्रस्तावना

देशज एवं सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों (आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों) के तेज़ी से पनपते विचार ने संरक्षण के काम के लिए नए अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियाँ भी पैदा कर दी हैं। आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों की परिभाषा इस प्रकार की गई है: प्राकृतिक और/या संशोधित पारिस्थितिकीय तंत्र जहां महत्वपूर्ण जैविविधता मूल्य, पारिस्थितिकीय सेवाएं और सांस्कृतिक मूल्य उपलब्ध होते हैं, जिनका देशज लोग और स्थानीय समुदाय, आसीन और घुमंतू दोनों, पारंपरिक कानूनों व अन्य प्रभावकारी तरीकों के माध्यम से स्वेच्छा से संरक्षण करते हैं (आई.यू.सी.एन. २००८)। इनमें तीन पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में ऐसे समुदाय शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से और/ या उनकी अजीविकाओं की ज़रूरतों के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र से नज़दीकी रिश्ता रखते हैं। दूसरा, समुदाय के प्रबंधन संबंधी निर्णय प्रभावी रूप से संरक्षण की दिशा में ले जाते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रमुख उद्देश्य संरक्षण हो। तीसरा, समुदाय ही प्रमुख निर्णय लेते हैं, और सामुदायिक संस्थानों के पास नियम लागू करने की शक्ति होती है (पाठक इत्यादि, २००४)।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के महत्व को दो प्रमुख आयोजनों में मान्यता दी गई: वर्ष २००३ में डरबन में आयोजित आई.यू.सी.एन. की पाँचवी वर्ल्ड पार्क्स काँग्रेस (डब्लू.पी.सी.) और वर्ष २००४ में कुआला लम्पूर में आयोजित सातवीं कॉनफेरेंस ऑफ पार्टीज़ टु द कन्वेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डाईवर्सिटी (सी.बी.डी. सी.ओ.पी.७)। डरबन काँग्रेस में रूढ़िगत संरक्षण ज्ञान का साथ तोड़ते हुए संरक्षण दृष्टिकोण में विविधीकरण लाने का सुझाव दिया गया। इस आयोजन में संस्तुति दी गई कि सी.बी.डी. को संरक्षित क्षेत्र प्रशासन दृष्टिकोणों की विविधता, जैसे कि सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, देशज संरक्षित क्षेत्र, और निजी संरक्षित क्षेत्रों को मान्यता देनी चाहिए (पाठक इत्यादि. २००४)। देशज और स्थानीय समुदाय, तुल्यता एवं संरक्षित क्षेत्रों (टी.आई.एल.सी.ई.पी. ए.) पर अपने विषय के माध्यम से, आई.यू.सी.एन. ने मार्गदर्शिकाओं का एक खंड तैयार किया, जिसमें ऐसे कदम सुझाए गए थे जिनका पालन करके संरक्षण एजेंसियां आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों को मान्यता दे सकती हैं और उन्हें संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों में शामिल करने के लिए उनके संरक्षण मूल्यों का मूल्यांकन कर सकती हैं (बोरिनी फेयेराबैंड इत्यादि. २००४ ए)।

यह आई.सी.सी.ए. कैसे दिखाई देते हैं? इन्हें स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका आकार १ हेक्टेयर के पवित्र वनों से लेकर ३०,००० वर्ग कि.मी. ब्राज़ील के क्षिनगु देशज पार्क (ओविएडो २००६) के आकार के बराबर तक हो सकता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों को पहले से मान्यता प्राप्त है और उन्हें राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों में शामिल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग २०% संरक्षित क्षेत्रों में २० देशज संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं (स्मिथ २००६), लेकिन इन संरक्षित क्षेत्रों या अन्य आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के जैविविधता लाभ स्पष्ट नहीं हैं। कोठारी (२००६) ने दर्शाया है कि आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों को आई.यू.सी.एन. की छः संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ पवित्र वनों व अन्य वर्जित निषिद्धताओं वाले स्थलों को १ए और १बी (कड़े प्राकृतिक संरक्षित एवं वन क्षेत्र) श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश आई.सी.सी.ए. क्षेत्र श्रेणी ५ (संरक्षित भूदृश्य/ समुद्री दृश्य) और श्रेणी ६ (प्रबंधित संसाधन संरक्षित क्षेत्र) में फिट होंगे।

आई.यू.सी.एन. ने जिन्हें शुरुआत में सी.सी.ए. क्षेत्रों का नाम दिया था, वे अलग प्रकार की प्रशासन प्रणालियों वाले, अलग प्रकार की समस्याओं वाले, अलग प्रकार के क्षेत्रों की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के एक अंश को भी राष्ट्रीय प्रणालियों में एकीकृत करने से संरक्षण को बेहतर बनाने में योगदान मिलेगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। हालांकि आई.सी.सी.ए. क्षेत्र सी.बी.डी. प्रोग्राम ऑफ वर्क का हिस्सा हैं (पाठक इत्यादि. २००४), आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों का बहुत कम दस्तावेज़ीकरण किया गया है (कोठारी २००६) और उनके नीतिगत निहितार्थों पर चर्चा उससे भी कम हुई है। यहाँ, मैं आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ का परीक्षण करके, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, और कुछ नीतिगत मुद्दों को उठा रहा हूँ।

ऐतिहासिक संदर्भ

आई.सी.सी.ए. शब्द नया हो सकता है, लेकिन समुदायों द्वारा क्षेत्रों या प्रजातियों के संरक्षण का विचार बिल्कुल भी नया नहीं है। आधुनिक संरक्षण आंदोलन के मुकाबले संरक्षण का पारंपरिक आधार बहुत पुराना है और यह कम-से-कम यूरोप में शाही खेल संरक्षित क्षेत्रों तक जाता है। संभवतः पारंपरिक संरक्षण, पवित्र वनों या पवित्र उपवनों के सबसे अच्छे प्रकारों का भारत में कुछ विस्तार के साथ दस्तावेज़ीकरण किया गया है, और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पवित्र

क्षेत्र विश्व के हर भाग में पाए जाते हैं (रामकृष्ण इत्यादि. १९९८)। इस प्रकार के पवित्र क्षेत्रों की जितनी सराहना की जाती है उनकी संख्या उससे कहीं ज़्यादा है; इक्वाडोर में वर्ष २००३ में ९७६ देशज समुदायों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप ३२८ पवित्र स्थलों की पहचान की गई (ओविएडो २००६)।

यूनेस्को के द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेटवर्क में सांस्कृतिक और जैवविविधता संरक्षण से संबंधित कई स्थल शामिल हैं: पवित्र पर्वत (जैसे कि पेरू में माचु पीचू), पवित्र वन, मंदिर और धार्मिक स्थल, और पवित्र झीलें और झरने (श्वयाफ़ ली २००६)। पारंपरिक प्रणालियों द्वारा संरक्षित जैव विविधता के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर यू.एन.ई.पी संग्रह में ऐसे पवित्र उपवन शामिल हैं जो मंदिर के उपवन होने के साथ-साथ समुदाय के लिए औषधीय पौधों के खज़ाने के रूप में काम करते हैं (पोसे १९९९)। यह मूल्य और आधुनिक संरक्षण के मूल्य कुछ हद तक एक-दूसरे से मेल रखते हैं। कोल्डींग फ्लेक (१९९७) ने पाया कि देशज लोगों द्वारा लागू की जाने वाली लगभग एक-तिहाई निषिद्धताएं आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में शामिल लुप्तप्राय प्रजातियों की सूचि से मेल रखती हैं।

विश्व भर में कई राष्ट्रीय उद्यान पूर्व पवित्र क्षेत्रों के स्थलों पर स्थापित किए गए हैं (बोरिनी फेयेराबैंड इत्यादि. २००४ बी)। इनमें से एक उदाहरण है कोलंबिया का ऑलटो फरगुआ इंडिवासी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उस देश में देशज समूहों के अनुरोध पर स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है (ओविएडो २००६)। एक और उदाहरण है तुर्की में काज़ दगलरी राष्ट्रीय उद्यान, जो ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया गया जहां पर कई शताब्दियों पुराने पवित्र स्थल थे और पेड़ों का अच्छा घनत्व था जिसे स्थानीय शिल्पकार और काष्ठकार वर्ष १४०० के आसपास से उपयोग करते आए हैं (आरी, निजी टिप्पणी; बेरकेस २००८)।

कुछ स्थितियों में, प्रजातियों की मौजूदा प्रचुरता को पवित्र स्थलों की मौजूदगी के बजाए, पारंपरिक आजीविका की प्रथाओं के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। बर्ड इत्यादि (२००८) ने दर्शाया है कि छोटे स्तर पर खेल के लिए देशज लोगों द्वारा शिकार के लिए लगाई जाने वाली आग के परिणामस्वरूप छोटे पैमाने की स्थलाकृतियाँ बनती हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी रेगिस्तान में उपलब्ध आवास स्थल की जैवविविधता का अधिकतम लाभ उठाती हैं। देशज लोगों द्वारा आग न लगाए जाने की स्थिति में, यह छोटी-छोटी स्थलाकृतियाँ भंग हो जाति हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर जैवविविधता कम हो जाती है। इसी प्रकार, दक्षिणी मेक्सिको के ऑक्साका राज्य के विशाल क्षेत्र उच्च प्रजाति समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं, जबकि वहाँ कोई भी आधिकारिक संरक्षित क्षेत्र मौजूद नहीं है। रॉबसन (२००७) ने इसके पीछे स्थानीय और देशज प्रथाओं को कारण बताया जिनके परिणामस्वरूप बहुआयामी सांस्कृतिक परिदृश्य जन्म लेते हैं, जहां ऊंचे क्षेत्रों में सामुदायिक वन, निचले क्षेत्रों में छायादार क्षेत्र में होने वाली कॉफी, और सबसे निचले क्षेत्रों में विविध उपयोग के वन तथा छोटे पैमाने की कृषि होती है।

एकीकृत संरक्षित परिदृश्य जहां वन्य एवं घरेलू दोनों प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वे संरक्षण के लिए विशेष रूप से रुचिकर क्षेत्र होते हैं (कोठारी २००६)। पेरू की ऐन्डीस पर्वत शृंखला में, जो कि आलू की उत्पत्ति का केंद्र स्थल है, कीचुआ देशज लोग जैव-सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में कृषि और प्राकृतिक क्षेत्रों का मिश्रण कायम रखते हैं। आई.यू.सी.एन. श्रेणी ५ के लिए संभावित उम्मीदवार, इस ८५०० हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग १२०० आलू की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कृषि और वन्य दोनों प्रकार की प्रजातियाँ शामिल हैं। (पाठक इत्यादि. २००४)। कीचुआ लोग कृत्रिम और जंगली किस्मों में ज़्यादा अंतर नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक सातत्य का हिस्सा मानते हैं (कोठारी २००६)।

ऑक्साका और पेरू के मामले मिश्रित पद्धतियों का उदाहरण हैं जो ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रथाओं के कुछ पहलू कायम रखते हैं, लेकिन साथ ही समकालीन मुद्दों और आजीविका की ज़रूरतों को भी संबोधित करते हैं। वे औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों और आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के बीच के मौलिक अंतर को भी रेखांकित करते हैं। पहले उदाहरण का प्रमुख उद्देश्य है जैविविधता संरक्षण, जबकि दूसरे को आजीविकाओं, सामुदायिक कल्याण (जिसमें ऑक्साका के उदाहरण में, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना भी शामिल है, जे. रॉबिंसन निजी टिप्पणी) और सांस्कृतिक कारणों के लिए स्थापित किया गया। आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन प्रणालियाँ और प्रथाएँ अक्सर ऐसे परिणाम देती हैं जो कि औद्योगीकृत देशों के संरक्षणवादियों के लिए वांछित हैं, और यह महज इत्तेफाक नहीं है। इन क्षेत्रों के लोग जैवविविधता संवाद का उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्पादनशील परिदृश्य और जल-दृश्य के लिए अवधारणाएँ विकसित की हैं जो ऐसी जैवविविधता प्रदान करती हैं जिन्हें हम पारिस्थितिकीय सेवाओं और आजीविका की आवश्यकताओं के उत्पादों के रूप में परिभाषित करते हैं (कपिस्तरानोएट इत्यादि. २००५)।

कई ग्रामीण और देशज लोग संरक्षण के जैविक, आर्थिक, और सामाजिक उद्देश्यों के बीच फ़र्क नहीं करते, जैसा कि अक्सर वैज्ञानिक करते हैं, बल्कि वे इन पहलुओं को परस्पर जुड़ा हुआ मानते हैं। कई देशज समूहों, उत्तरी कैनेडा के क्री और दीन समुदायों से लेकर न्यू ज़ीलैंड के माओरी समुदाय तक, के वैश्विक नज़रिये के अनुसार, उपयोग और संरक्षण एकसाथ किया जाता है। संसाधन का सम्मान करने के लिए उसे उपयोग करना पड़ता है और उसके प्रति ज़िम्मेदारी रखनी पड़ती है। इस नज़रिये के अनुसार, उपयोग के बिना संरक्षण

का कोई मायना नहीं है (निषिद्ध क्षेत्रों और प्रजातियों को छोड़कर) क्योंकि इससे लोगों का अपनी भूमि और नेतृत्व लेने की ज़िम्मेदारी से जुड़ाव टूट जाता है (बेरकेस २००८)।

समकालीन संदर्भ

पवित्र उपवनों जैसे ऐतिहासिक रूप से लेकर पुराने आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के अतिरिक्त, हाल के वर्षों में नए आई.सी.सी.ए. क्षेत्र भी बने हैं। ज़्यादातर समुद्री आई.सी.सी.ए. क्षेत्र नए प्रतीत होते हैं और एशिया पेसिफिक क्षेत्र में केंद्रित हैं, जो कि प्रतिबंधों सहित रीफ़ और लगून स्वामित्व प्रणालियों, और प्रजाति एवं क्षेत्रीय वर्जनाओं की समृद्ध विरासत की धरोहर है (जोहान्नेस २०२०)। ५०० से अधिक समुद्री आई.सी.सी.ए. क्षेत्र तो अकेले फिलीपींस में ही हैं (कोठारी २००६)। भू-स्थलीय आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के मामले में, कुछ नए आई.सी.सी.ए. क्षेत्र पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार उपयोग किए जाने वाले मौजूदा परिदृश्य पर आधारित हैं, और कुछ नए संरक्षित क्षेत्र प्रतीत होते हैं, जो पर्यावरणीय सेवाओं के भुगतान की अवधारणा से प्रोत्साहित हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्साका में (रॉबसन २००७)। छाया में पैदा होने वाली कॉफी, जो कि अब एशिया, अफ्रीका, और लैटिन अमरीका की कृषि-पारिस्थितिकीय प्रणालियों में आम हो गई है, एक नवोत्पाद है, मुख्यतः क्योंकि हरित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार खुल गए हैं (टकर २००८)।

विभिन्न आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के प्रमुख उद्देश्यों में भिन्नताओं को संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में, और किस प्रकार दो तरह के उद्देश्य शामिल हो सकते हैं, इसे अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से समझ जा सकता है। तालिका १ में विविध भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृतियों में स्थापित पाँच आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों की सूचि दी गई है, जिनमें से तीन में देशज समूह शामिल हैं (कैनेडा, मेक्सिको, और गुयाना के उदाहरण) और दो में गैर-देशज समुदाय शामिल हैं (थायलैंड और नामीबिया)। दो उदाहरण संरक्षित क्षेत्र हैं (कैनेडा, नामीबिया) और एक पहले से बने संरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है (गुयाना)। तीन (नामीबिया, मेक्सिको, थायलैंड) को यू.एन.डी.पी. के जैवविविधता संरक्षण और गरीबी उन्मूलन उद्देश्यों का सम्मिश्रण करने वाली परियोजनाओं के लिए स्थापित इक्वेटर पुरुस्कार के लिए चुना गया था (यू.एन.डी.पी. २००८)।

तालिका १. आधुनिक सी.सी.ए. क्षेत्रों के उदाहरण

उदाहरण	आई.सी.सी.ए. का प्रमुख कारण	संदर्भ
द टोरा कन्सर्वन्सी, नामीबिया, ३५२,००० हेक्टेयर, नामीबिया के ५० से अधिक कन्सर्वन्सी क्षेत्रों में से एक	वन्यजीव उपयोग से रोज़गार और नकद लाभ; ईकोपर्यटन; सामुदायिक संगठन और सशक्तिकरण; वन्यजीव प्रबंधन में भागीदारी	हूले (२००७)
नुएवो सान यूहान, मेक्सिको, १८,००० हेक्टेयर समुदाय आधारित वानिकी उद्यम	आर्थिक एवं सामाजिक विकास; काष्ठीय और गैर-काष्ठीय उत्पादों के लिए बहुपयोगी वन पारिस्थितिकीय तंत्र; पारंपरिक भूमि का नियंत्रण	ऑरोजको (२००६)
प्रेद नाई कम्यूनिटी फॉरिस्ट्री ग्रुप, त्रात प्राविन्स, थायलैंड	क्षतिग्रस्त वायुशिफ वनों का पुनरुद्धार (लगभग २,००० हेक्टेयर); आजीविका के स्त्रोतों तक पहुँच; सामुदायिक भू-स्वामित्व सुरक्षित करना	सेनीक (२००६)
आरपाइमा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द नॉर्थ रुपूनूनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, गुयाना	ऐमेज़ोन क्षेत्र की एक विशाल मछली, आरपाइमा गीगास, के भविष्य में उपयोग के लिए निवेश के रूप में समुदाय-आधारित संरक्षण; संपार्श्विक वित्तपोषक सहयोग; सशक्तिकरण; प्रबंधन भागीदारी	फेरनानडेस (२००४)
पाकुमशुमवाऊ मातुस्काऊ बायो डाइवर्सिटी रिजर्व, ४२५९ वर्ग कि.मी., क्री नेशन ऑफ वेमिन्दजी, कैनेडा	जैवविविधता एवं भूदृश्यात्मक संरक्षण; जल विद्युत विकास के खतरे से सुरक्षा; भूमि एवं संसाधन अधिकारों की पुष्टि; सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक ज़रूरतों की एकजुटता	कीबेक (२००८)

तालिका १ में एक अद्भुत तथ्य नज़र आता है वह है आई.सी.सी.ए. क्षेत्र बनाने के पीछे लोगों के उद्देश्य: आजीविका के स्त्रोतों तक पहुँच, भूमि एवं संसाधन स्वामित्व की सुरक्षा, बाहरी खतरों से सुरक्षा, संसाधनों या पारिस्थितिकीय सेवाओं से वित्तीय लाभ, क्षतिग्रस्त संसाधनों का पुनरुद्धार, प्रबंधन में भागीदारी, सशक्तिकरण, क्षमता विकास, और सांस्कृतिक पहचान तथा एकजुटता। इससे संबंधित

एक खोज यह भी है कि हर उदाहरण के विभिन्न उद्देश्य हैं जिसमें आर्थिक, पारिस्थितिकीय, और सामाजिक पहलू शामिल हैं। चूंकि यह सभी हाल में बने आई.सी.सी.ए. क्षेत्र हैं, आजीविका की ज़रूरतों के साथ-साथ नैतिक/ सांस्कृतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। सभी उदाहरणों में भूमि के साथ जुड़ाव और स्वामित्व की सुरक्षा प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ तक कि मेक्सिको के बेहद व्यावसायिक प्रतीत होने वाले उदाहरण में भी।

कुछ उदाहरणों में सांस्कृतिक मूल्य निहित हैं: गुयाना के उदाहरण में, एक समय में मकुशी लोग आरपाइमा (आरपाइमा गीगास) को सभी मछलियों के माता-पिता मानते थे, जो कि पौराणिक किस्सों और कहानियों से जुड़े हुए थे, और इस प्रजाति पर वर्जित संरक्षण लागू था। आधुनिक मकुशी कहते हैं कि वे ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते (फेरनानडेस २००४)। कई मामलों में, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें आई.सी.सी.ए. कथानक का महत्वपूर्ण अंश हैं, और यह बात कैनेडा के मामले में सबसे ज़्यादा मज़बूती के साथ उभर कर आती है, स्थानीय रूप से संरक्षित एक क्षेत्र जिससे कि हमारे नाती-पोते शिकार और मछली पकड़ सकें, और गुयाना के उदाहरण में जहां मकुशी लोग ज़ाहिर तौर पर भविष्य में उपयोग के संभावित लाभ के लिए, वर्तमान समय में आरपाइमा को त्यागने को तैयार हैं।

नीतिगत निहितार्थ

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों में वर्तमान समय में संरक्षण के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल को काफ़ी हद तक बढ़ाने की संभावना है। लेकिन वे नीतिगत निहितार्थों के लिए कई सवाल भी पैदा करते हैं, जिनमें से कई सवालों पर आई.यू.सी.एन. में चर्चा भी चल रही है (कोठारी २००६; ओविएडो २००६)। यहाँ मैं चार कार्यक्षेत्रों में नीतिगत निहितार्थ देखने का प्रयास कर रहा हूँ: आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के वास्तविक संरक्षण लाभों के पक्ष और विपक्ष में प्रमाणों का मूल्यांकन; पारंपरिक ज्ञान का संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के साथ समाकलन; प्रशासन प्रणालियों का सही मिश्रण ढूँढना; और आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के सामने खड़ी चुनौतियों का हल निकालना।

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के वास्तविक संरक्षण लाभों के पक्ष और विपक्ष में प्रमाणों का मूल्यांकन

आई.यू.सी.एन. श्रेणी तख संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी बनाए जाने का आधार ब्राज़ील के रबर निकालने वाले निष्कर्षी आरक्षित क्षेत्र प्रारूप हैं (ओविएडो २००६)। यह आरक्षित क्षेत्र आम तौर पर हल्के उपयोग वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें एक अंग के संरक्षण (जैसे कि रबर के पेड़) से सभी वनस्पतियों का संरक्षण होता है। लेकिन कई आई.सी.सी.ए. क्षेत्र, जैसे कि मेक्सिको के बहुपयोगी वनों का अत्यधिक उपयोग होता है। ब्राएर इत्यादि (२००२) ने सुझाव दिया कि मेक्सिको के समुदाय प्रबंधित वन (जिनमें तालिका १ में दिया गया मेक्सिको का उदाहरण भी शामिल है) सतत वन्य भू-दृश्य बनाने के लिए एक प्रारूप का काम कर सकते हैं।

ऐसे वनों को राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों की सूचि में शामिल करने से संरक्षण में क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? कुछ उदाहरणों में, संरक्षण संस्थाएँ देशज समूहों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जैसे कि ब्राज़ील के केयापो में, जहां स्पष्ट प्रमाण हैं कि देशज नियंत्रण नए बसने वाले लोगों द्वारा वनों को हानि पहुंचाए जाने से बचाता है (श्ववार्ट्ज़मन और ज़िमरमन २००५)। अन्य मामलों में, बढ़ते बाज़ार समेकीकरण के कारण संरक्षण मूल्य घट सकते हैं, जब तक कि वहाँ के देशज समुदायों को संसाधनों के विघटन से सबक सीखने और समय के साथ अपनी खुद की संरक्षण नैतिकता विकसित करने का अवसर न मिला हो (होल्ट २००५)। आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों की अत्यधिक विविधता को देखते हुए, संभव है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों में जैवविविधता के सकारात्मक मूल्य पाए जाएँ और कुछ में नहीं। लेकिन अंततः, कोई भी आई.सी.सी.ए. क्षेत्र राष्ट्रीय संरक्षण नेटवर्क में तभी जोड़ा जा सकेगा जब इसमें सभी पार्टियों की सहमति शामिल हो।

पारंपरिक ज्ञान का संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के साथ समाकलन

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों से हम पारंपरिक ज्ञान और प्रबंधन प्रथाओं के संरक्षित क्षेत्र नियोजन में समाकलन के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी और नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होगी (ओविएडो २००६)। स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान के विषय पर गंभीरता से चर्चा करना १९९० के दशक से ही शुरू हुआ है, और यह अभी भी मुख्यधारा संरक्षण विज्ञान में अपनी जगह नहीं बना पाया है। लेकिन फिर भी, संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों में आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के समाकलन का अर्थ है कि हर स्तर के संरक्षण क्षेत्र प्रबंधकों को स्थानीय संस्थानों और ज्ञान के साथ काम करना आना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को शामिल किए जाने की सूचि तेज़ी से बढ़ रही है। राजकीय वैज्ञानिक ज्ञान और सामुदायिक ज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि दोनों प्रकार के ज्ञान दो अलग-अलग स्थानिक पैमानों पर काम करते हैं, और अच्छे प्रबंधन के लिए दोनों का उपयोग ज़रूरी है (बोरिनी फेयेराबैंड इत्यादि. २००४ बी; बेरकेस २००८)। तालिका १ में दिए गए उदाहरण और अन्य यू.एन.डी.पी. इक्वैटर इनीशिएटिव परियोजनाएँ (बेरकेस २००७) दर्शाती हैं कि ऐसे ज्ञान के समाकलन के लिए अक्सर विभिन्न साझेदारियाँ करनी होती हैं, और ऐसे प्रबंधकों की ज़रूरत होती है जिनके पास नेटवर्क बनाने, समझौता करने और टकरावों का समाधान करने का कौशल हो।

प्रशासन प्रणालियों का सही मिश्रण ढूँढना

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के लिए कोई एक सही प्रशासन प्रारूप नहीं है, हालांकि ब्राज़ील (ओविएडो २००६) और ऑस्ट्रेलिया (गोवानेट इत्यादि. २००६) के अनुभव इसके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के देशज संरक्षित क्षेत्रों की ताकत यह है कि, राष्ट्रीय प्रणालियों में आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के समाकलन की प्रक्रिया स्वैच्छिक है, और आदिवासी लोग सरकार की भागीदारी का स्तर खुद चुन सकते हैं। सरकार के सहयोग के बदले में, आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के आदिवासी स्वामियों को एक प्रबंधन योजना बना कर लागू करनी होती है (पाठक इत्यादि. २००४)।

हालांकि वर्तमान आई.यू.सी.एन. संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों में प्रशासन के पहलू में सह–प्रबंधित संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के बीच अंतर किया गया है (बोरीनिएट इत्यादि. २००४ ए), आई. सी.सी.ए. क्षेत्र प्रभावी रूप से सह–प्रबंधित ही होंगे क्योंकि सभी संरक्षण प्रयास सरकारी कानूनों के अंतर्गत किए जाते हैं, और इनमें कई स्तरों की संस्थाएँ शामिल होती हैं, जिसके लिए सहभागिता और नेटवर्क ज़रूरी हैं। संरक्षण परिणाम अक्सर इन स्तरों के बीच परस्पर क्रिया (या उसके अभाव) से प्राप्त होते हैं (बेरकेस २००७)। सह–प्रबंधन के लिए समुदाय और सरकार के बीच अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का सही मिश्रण प्राप्त करना, और समस्याओं का हल करने का दृष्टिकोण रखना शामिल होता है। लेकिन कई समुदायों के लिए, सह– प्रबंधन का मतलब होता है सरकार की दखलंदाज़ी का खतरा। वैसे भी, सह–प्रबंध अपनेआप में अच्छे संरक्षण की गारंटी नहीं देता; उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया का सह–प्रबंधित काकडू राष्ट्रीय उद्यान, जहां आक्रामक प्रजातियों के कारण बहुत नुकसान हुआ है (ब्रैडशॉ इत्यादि. २००७)।

आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के सामने खड़ी चुनौतियों का हल निकालना

मौजूदा आई.सी.सी.ए. क्षेत्र कई बाधाओं और समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनमें शामिल है पारंपरिक प्रबंधन क्षमताओं और अधिकारों का नुकसान, और असुरक्षित भूमि स्वामित्व (कोठारी २००६)। तालिका १ व अन्य जगहों पर दिए गए उदाहरणों के आधर पर कहा जा सकता है कि कमज़ोर संस्थानों और क्षमता वर्धन की ज़रूरतों को पूरा करने में लगभग १० वर्ष का समय लगेगा, और इसके लिए सहभागिता तथा नेटवर्क बनाने ज़रूरी हैं, जिनमें आम तौर पर समुदाय, गैर–सरकारी संस्थाएँ, सरकारी एजेंसियां, और विश्वविद्यालय शामिल हों (कपिस्तरानोएट इत्यादि. २००५)। पहले से तैयार किए हुए पैकेज वाले समाधान काम नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक आई.सी.सी.ए. क्षेत्र अलग है। लचीलापन और स्थल–विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है जिससे कि करके सीखने की प्रक्रिया से स्थानीय समस्याओं के समाधान ढूँढे जा सकें। सरकारी मान्यता और पर्यावरणीय सेवाओं के भुगतान के माध्यम से भूमि और संसाधनों के स्वामित्व को मजबूत करना राष्ट्रीय प्रणाली में आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के समाकलन के लिए प्रोत्साहक का काम कर सकता है। लेकिन, विश्व भर के कई देशज और ग्रामीण समूह उद्यानों को बेदखली के समरूप देखते हैं। भारतीय आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों की मान्यता के लिए नए कानूनों का लाभ लेने के प्रति अनिच्छा पर एक चर्चा में कोठारी (२००६) इस समस्या का उल्लेख करते हैं। फ़िलिपींस में, तगबनवा लोग डरते हैं कि यदि कोरोन द्वीप को राष्ट्रीय प्रणाली में शामिल कर दिया गया तो वे संसाधनों पर अपना नियंत्रण खो देंगे (पाठक इत्यादि. २००४)।

निष्कर्ष के तौर पर, इनमें से प्रत्येक मुद्दे (व अन्य) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण नीति के लिए निहितार्थ रखते हैं। २००३ वर्ल्ड पार्क्स काँग्रेस में दिए गए संरक्षित क्षेत्र प्रशासन में और अधिक विविधता लाने के आह्वान को संबोधित करते हुए, संरक्षण, और उसमें शामिल स्थानीय लोगों तथा संस्थानों की भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने में आई.सी.सी.ए. क्षेत्र योगदान कर सकते हैं। जैसे कि, पारंपरिक संरक्षण दृष्टिकोण और अधिक समावेशी एवं बहुलतावादी बन सकता है, जिस पर औद्योगीकृत देशों के वैज्ञानिकों का एकाधिकार न हो। और साथ ही, संरक्षण के कार्यक्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने से वह विश्व के देशज एवं ग्रामीण लोगों के लिए और ज़्यादा वास्तविक और वैध जगह बन जाएगी। चूंकि कड़ा परिरक्षण महत्वपूर्ण बना रहेगा, सतत उपयोग और अजीविकाओं की आवश्यकताओं का आई.यू. सी.एन. श्रेणी त और तख भूमियों में समावेश होने से, सततता एवं गरीबी उन्मूलन के यू.एन.डी.पी. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में संभवतः संरक्षण कार्यक्षेत्र भी योगदान कर पाएगा। इन क्षेत्रों में कार्यरत प्रबंधकों को सहभागी प्रशासन, संयुक्त रूप से समस्याओं का हाल निकालने और सामाजिक सीख, ज्ञान समाकलन, और समुदाय–आधारित बहुस्तरीय संरक्षण में अपने कौशल का विकास करना होगा।

स्त्रोतः https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1755-263X.2008.00040.x

उद्धरण

Berkes, F. (2007) Communitybased conservation in a globalized world. Proceedings of the National -cademy of Sciences 1 04 , 15188- 15193.

Berkes, F. (2008). Sacred ecology. Second edition. Routledge, New York .

Bird, R.B., Bird D.W., Codding B.F., Parker C.H., Jones J.H. (2008) The fire stick farming hypothesis: -ustralian aboriginal foraging strategies, biodiversity, and anthropogenic fire mosaics. Proceedings of the National -cademy of Sciences 105, 14796- 14801.

BorriniFeyerabend, G., Kothari -., Oviedo G. (2004a) Indigenous and local communities and protected areas. World Commission on Protected -reas IUCN, Gland.

BorriniFeyerabend, G., Pimbert M., Farvar M.T., Kothari -., Renard Y. (2004b) Sharing power. Learningbydoing in comanagement of natural resources throughout the world.

Bradshaw, C.J.-., Field I.C., Bowman D.M.J.S., Haynes C., Brook B.W. (2007) Current and future threats from nonindigenous animal species in northern -ustralia: a spotlight on World Heritage -rea Kakadu National Park. Wildl Res 34, 419- 436.

Bray, D.B., MerinoPerez L., NegrerosCastillo P. et al . (2002) Mexico's communitymanaged forests as a global model for sustainable landscapes. Conserv Biol 17, 672- 677.

D. Capistrano, K.C. Samper, J.M. Lee, C. Raudsepp Hearne editors. (2005) Ecosystems and human wellbeing: multiscale assessments. Volume 4. Millennium Ecosystem -ssessment and Island Press, Washington, D.C .

Colding, J., Folke C. (1997) The relation between threatened species, their protection, and taboos. Conserv Ecol online 1 (1), 6. -vailable from URL http://www. ecologyandsociety. org/vol1/iss1/ (accessed on November 27, 2008).

Fernandes, D. (2004) CommunityBased -rapaima Conservation in the North Rupuni, Guyana. Equator Initiative Technical Report online. -vailable from URL http://www.umanitoba.ca/institutes/naturalš resources/ nrišcbrmšprojectsšeiprojects.html (accessed on November 27, 2008).

Govan, H., Tawake-., Tabunakawai K. (2006) Communitybased marine resource management in the South Pacific. Parks 16, 63- 67.

Johannes, R.E. (2002) The renaissance of communitybased marine resource management in Oceania. -nnu Rev Ecol Syst 33, 317- 340.

Holt, F.L. (2005) The catch22 of conservation: indigenous peoples, biologists and cultural change. Human Ecol 33, 199- 215.

Hoole, -. (2007) Lessons from the equator initiative: common property perspectives for communitybased conservation in Southern -frica and Namibia. Equator Initiative Technical Report online. -vailable from URL http://www.umanitoba.ca/institutes/naturalšresources/ nrišcbrmšprojectsšeiprojects.html (accessed on November 27, 2008).

IUCN (2008) Indigenous and community conserved areas. -vailable from URL http://cms.iucn.org/about/union/ commissions/ceesp/topics/governance/icca (accessed on November 27, 2008).

Kothari, -. (2006) Communityconserved areas: towards ecological and livelihood security. Parks 16, 3- 13.

Orozco, -.Q. (2006) Lessons from the Equator Initiative: the communitybased enterprise of Nuevo San Juan, Mexico. Equator Initiative Technical Report online. -vailable from URL http://www.umanitoba.ca/institutes/ naturalšresources/nrišcbrmšprojectsšeiprojects.html (accessed on November 27, 2008).

Oviedo, G. (2006) Communityconserved areas in South -merica. Parks 16, 49- 55.

Pathak, N., Bhatt S., Balasinorwala T., Kothari -., Borrini Feyerabend G. (2004) Community conserved areas: a bold frontier for conservation. TILCEP-/IUCN, CENEST-, CMWG and W-MIP, Tehran .

D.-. Posey editor (1999) Cultural and spiritual values of biodiversity. UNEP and Intermediate Technology Publications, London .

Quebec (2008) Proposed PaakumshumwaauMaatuskaau biodiversity reserve. Conservation Plan. Quebec Strategy for Protected -reas. Government of Quebec, Quebec City.

P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, U.M. Chandrashekara editors (1998) Conserving the sacred for biodiversity management. Oxford and IBH, New Delhi .

Robson, J.P. (2007) Local approaches to biodiversity conservation: lessons from Oaxaca, southern Mexico. Int J Sus Dev 10, 267- 286.

T. Schaaf, C. Lee editors. (2006) Conserving cultural and biological diversity: the role of sacred natural sites and cultural landscapes. Proceedings of the Tokyo Symposium. UNESCO, Paris .

Schwartzman, S., Zimmerman B. (2005) Conservation alliances with indigenous peoples of the -mazon. Conserv Biol 19, 721- 727.

Senyk, J. (2006) Pred Nai community forestry group and mangrove rehabilitation, Thailand. Equator Initiative Technical Report online. -vailable from URL http://www. umanitoba.ca/institutes/naturalšresources/nrišcbrmš projectsšeiprojects.html (accessed on November 27, 2008).

Smyth, D. (2006) Indigenous protected areas in -ustralia. Parks 16, 14- 20.

Tucker, C.M. (2008) Changing forests: collective action, common property, and coffee in Honduras. Springer Verlag, New York.

UNDP EI (2008) The Equator Initiative. -vailable from URL http://www.undp.org/equatorinitiative/ (accessed on November 27, 2008).

समुदाय की ताकत

नीमा पाठक ब्रूम

समूची आबाद दुनिया में, देशज लोग और स्थानीय समुदाय अपने प्रदेशों और क्षेत्रों का प्रशासन, उपयोग और संरक्षण करते आए हैं। भूमंडलीय स्तर पर, उनमें से कई प्रदेश और क्षेत्र सबसे सम्पन्न और तन्यकतापूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र रहे हैं। यथार्थतः इसी कारण से ऐसे कई देशज और स्थानीय लोगों के जैवविविधता सम्पन्न प्रदेशों और क्षेत्रों को विश्व भर की सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान या अन्य प्रकार के औपचारिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है।

हमारे ग्रह पर मंडराते जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के संकट – जिसके पीछे विकास का वर्तमान प्रारूप कारण है जो कि निर्दयी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, समुदायों की बेदखली, स्थानीय और देशज संस्कृति को भंग करने और प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए ज़िम्मेदार है – के कारण भूमंडलीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मूलभूत कारणों का पुनरविश्लेषण किया जा रहा है।

भूमंडलीय स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि बाकी बचे प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्रों और जैवविविधता का संरक्षण अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की सरकारें, जिनमें भारत भी शामिल है, औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए. क्षेत्र) की घोषणा के माध्यम से संरक्षण करने में जुटी हुई हैं। भारत के संदर्भ में पी.ए. क्षेत्रों में शामिल हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव गलियारे, और बाघ आरक्षित क्षेत्र, आदि। लेकिन पी.ए. क्षेत्रों के अंतर्गत, इन प्रदेशों में स्थानीय लोगों के उपयोग और पहुँच के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनके अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाता है, और कई मामलों में स्थानीय लोगों को विस्थापित या निष्कासित भी कर दिया जाता है।

द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउट्लुक ५ रिपोर्ट (यू.एन.ई.पी. २०१२) दर्शाती है कि पिछले दो दशकों में, जहां भूमंडलीय स्तर पर पी.ए. क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की संख्या और विस्तार दोनों में बढ़ोतरी हुई है और इनके अंतर्गत विश्व का १३% भू–क्षेत्र आता है, वहीं जैवविविधता में जनसंख्या, प्रजातियों, पारिस्थितिकीय और संभवतः आनुवांशिक स्तर पर गिरावट आई है। यह रिपोर्ट पी.ए. क्षेत्रों के प्रबंधन और प्रशासन में लोगों की भागीदारी में कमी को पहचानने के साथ–साथ, देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की संरक्षण प्रणालियों को मान्यता न दिए जाने को जैवविविधता में आ रही इस कमी का कारण मानती है।

द यूनाइटेड नेशन्स इन्टरगवर्न्मेन्टल साइंस–पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाईवर्सिटी एण्ड ईकोसिस्टम सर्विसेज़ (आई.पी.बी.ई.एस.) की जैविविधता में गंभीर कमी पर एक साक्ष्य–आधारित रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं, संस्थाओं और मूल्यों को मान्यता देना और पर्यावरणीय प्रशासन में उनका समावेश और भागीदारी अक्सर उनके जीवन की गुणवत्ता और साथ ही प्रकृति संरक्षण, नवीनीकरण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। भूमि के पट्टों को मान्यता देकर, राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप संसाधनों पर उनके अधिकार और पहुँच, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के सिद्धांत को लागू करते हुए, तथा उपयोग से होने वाले लाभ में बेहतर सहकार्यता, न्यायपूर्ण और तुलयात्मक बंटवारे, और स्थानीय समुदायों के साथ सह–प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से सततता के लिए उनके सकारात्मक योगदान को सहयोग दिया जा सकता है।

अनुमान है कि देशज लोगों के क्षेत्र पृथ्वी की स्थलीय सतह का २२% हिस्सा हैं और इन क्षेत्रों में पृथ्वी की ८०% जैवविविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि गैर–देशज समुदायों के प्रबंधन में हैं, जिनमें शामिल हैं किसान, चरवाहे, मछुआरा समुदाय। इसे तेज़ी से पहचाना जा रहा है कि इन क्षेत्रों को मिलाकर, इनमें जैविक–सांस्कृतिक रूप से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण भू–दृश्य और समुद्री तट शामिल हैं। देशज लोग और स्थानीय समुदायों ने ऐसे संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के स्थानीय नाम दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्षेत्र में इन विविध संस्थानों और प्रथाओं को, अभी सुविधा के लिए, एक छतरी–नुमा शब्द आई.सी.सी.ए. के अंतर्गत पहचान दी गई है। इस संक्षिप्त शब्द का अर्थ है देशज समुदाय और सामुदायिक संरक्षित प्रदेश और क्षेत्र (आई.यू.सी.एन. के अनुसार) और देशज एवं सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र (कन्वेन्शन ऑन बायोडाईवर्सिटी – सी.बी.डी. के अनुसार)। आई.यू.सी.एन. के अनुसार, आई.सी.सी.ए. क्षेत्र प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकीय तंत्र हैं, जिनमें महत्वपूर्ण जैवविविधता, पारिस्थितिकीय सेवाएँ और सांस्कृतिक मूल्य मौजूद होते हैं, जिन्हें देशज और स्थानीय समुदाय स्वेच्छा से प्रथागत कानूनों या अन्य प्रभावी तरीकों से संरक्षित रखते हैं (आई.यू.सी.एन. वर्ल्ड पार्क्स काँग्रेस २००३ संस्तुति वी.२६)। आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों के अंदर स्थानीय पर्यावरण के साथ लंबे समय का संबंध होने के कारण विकसित ज्ञान पर आधारित विविध प्रथागत,

संस्थागत और सामूहिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उनका संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन लोग और स्थानीय समुदाय तथा विशिष्ट रूप से आई.सी.सी.ए. क्षेत्र कई कारणों से खतरे में हैं। इनमें शामिल है कानूनी सहयोग एवं अधिकारों की सुरक्षा न होना; देशज भूमि व अन्य संचायती संपत्ति का संरक्षित क्षेत्र घोषित करने या अन्य बाहरी विकास परियोजनाओं के लिए सरकार और/या कॉर्पोरेट एजेंसियों द्वारा कब्ज़ा; बाहरी लोगों द्वारा तस्करी, शिकार व स्थानीय नियमों का पालन न करना; पारंपरिक संस्थाओं और ज्ञान का खत्म होना; स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर ज़ोर देने या उसके महत्व को मान्यता देने में शिक्षा प्रणाली की विफलता; मूल्यों और आकांक्षाओं में बदलाव; राष्ट्रीय एवं उप–राष्ट्रीय दलगत राजनीति; भूमंडलीय बाज़ारी ताकतें।

विश्व भर के देशज लोग और स्थानीय समुदाय मांग करते आए हैं कि उनके अधिकारों और संरक्षण प्रथाओं को मान्यता दी जाए और उन्हें बाहरी खतरों का सामना करने के लिए सहयोग दिया जाए। इस उद्देश्य की दिशा में, वर्ष २०१० में, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ (www. iccaconsortium.org) का गठन किया गया। आई.सी.सी.ए. संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि भूमंडलीय स्तर पर आई. सी.सी.ए. क्षेत्रों को उचित मान्यता दिलवाने, ओर सहयोग देने के प्रति समर्पित है। इसके सदस्यों में देशज लोगों की संस्थाएँ और फेडरेशन, विभिन्न स्तरों की सामुदायिक संस्थाएँ और नागरिक समाज संस्थाएं शामिल हैं, जो उनके साथ नज़दीकी से काम करती हैं। इसके मानद सदस्यों में ऐसे लोग शामिल हैं जो इस मुद्दे के प्रति प्रासंगिक विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता रखते हैं। संघ की गतिविधियों में स्थानीय आई.सी.सी.ए.–आधारित प्रयासों को सहयोग देने से लेकर उचित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा देने तक, अनुसंधान प्रयासों की शुरुआत को मजबूत करने से लेकर तकनीकी प्रकाशन निकालना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आई. सी.सी.ए. संबंधित राजकीय संस्थानों व अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ काम करने का भी प्रयास करता है।

कोविड महामारी के दौरान हमने आदिवासियों व अन्य पारिस्थितिकीय तंत्र– आश्रित समुदायों की इस संकट से मुकाबला करने की उल्लेखनीय तन्यकता के दर्जनों उदाहरण भी देखे, विशेषकर जहां वे वनाधिकार अधिनियम २००६, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तारीकरण अधिनियम १९९६, के अंतर्गत स्वयं या कानूनी रूप से सशक्त हैं, या नागालैंड जैसे राज्यों में जहां भूमि एवं वनों पर स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

स्वाभाविक है कि इन समुदायों ने महामारी के दौरान रातोंरात तन्यकता प्राप्त नहीं की; इसके विपरीत सशक्तिकरण की दिशा में उनकी प्रक्रियाएं बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं जिनके परिणामस्वरूप उनकी वन–आधारित अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण हुआ, स्थानीय आजीविकाएँ मजबूत बनीं और उन्होंने अपने आसपास के वनों, जलक्षेत्रों, चारागाहों व अन्य पारिस्थितिकीय तंत्रों के नवीनीकरण के प्रयास शुरू किए।

पिछले कुछ वर्षों में हमने कई ऐसी ग्राम सभाएं और फेडरेशन देखीं जिनके अधिकारों को वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता मिल चुकी थी और उन्होंने वन–आधारित आजीविकाओं की दिशा में अपनी प्रबंधन प्रणालियाँ विकसित कीं। इसके परिणामस्वरूप उनकी पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी हुई और साथ ही वे ग्राम सभा के माध्यम से स्वयं आमदनी अर्जित कर पाए, और इससे संकट के कारण होने वाले प्रवास में काफ़ी कमी आई (कुछ मामलों में लगभग ६०% तक)। ऐसी ग्राम सभाएँ और उनके सदस्यों पर लॉकडाउन का प्रभाव कम रहा। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, यह ग्राम सभाएँ सूक्ष्म वनोपज एकत्रित करने वाले लोगों को ऐसे समय में भी आमदनी उपलब्ध करवा पाईं, जबकि लॉकडाउन के कारण आपूर्ति और विपणन गंभीर रूप से प्रभावित थे। कुछ ग्राम सभाएँ उन लोगों का भी खयाल रख पाईं और आमदनी उपलब्ध करवा पाईं जो लॉकडाउन के कारण गांवों में वापस आ गए थे। ग्राम सभाओं द्वारा वन प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि के उपयोग के लिए कोई बाहरी नियम नहीं थे और यह धनराशि प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त थी। इसके परिणामस्वरूप, ग्राम सभाएँ इस सामूहिक धनराशि को अपने समुदाय के सदस्यों के लिए खाद्य सामग्री देने और अन्य सहयोग के लिए उपयोग कर पाईं, जहां उन्हें किसी बाहरी सहयोग या दान पर निर्भर नहीं होना पड़ा।

नागालैंड जैसे राज्यों में ग्राम संस्थान महामारी के दौरान, अपने सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के वनों से प्राप्त अकृषित वन खाद्य पदार्थों के विनियमित संग्रह और तुलयात्मक वितरण के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए।

ऐसे कई सशक्त समुदाय महामारी के दौरान अपने संचायती कोश को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने वाली गतिविधियों में निवेश कर पाए, जबकि सरकारी एजेंसियां ऐसा करने में विफल रहीं।

आश्चर्य की बात नहीं है कि कई स्थानीय अभिव्यक्तियों में अब स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे समुदाय आत्म–प्रतिबिंबी होते हैं और वे अपने पारिस्थितिकीय तंत्रों के साथ उनके संबंधों का पुनः निरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन करते हैं, जिसमें युवा भी शामिल हैं जिन्होंने अब देख लिया है कि इन परिस्थितिकीय तंत्रों ने उन्हें ऐसे समय में संभाला जब उनके पास और कोई मदद उपलब्ध नहीं थी।

ये उदाहरण स्थानीय आजीविकाओं, समुदाय उन्मुख संस्कृतियों, सामाजिक संस्था और स्थानीय समुदायों के जैवविविधता प्रबंधन,

नवीनीकरण और संरक्षण की प्रणालियों को बनाए रखने की दिशा में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हैं।

दूसरी ओर महामारी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने की काबलियत में दूरदर्शिता की कमी को और भी दृढ़ता से उजागर कर दिया। अप्रैल में जब कोविड-१९ अपनी चरमसीमा पर था, मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/बाघ आरक्षित क्षेत्रों में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दें, जिससे लगभग ३०-४० लाख लोगों पर प्रभाव पड़ा, जिनमें से अधिकतर आदिवासी, अति-संवेदनशील आदिवासी समूह, घुमंतू समुदाय, चरवाहा समुदाय और मछुआरे थे। कुछ जगहों पर इसके कारण जबरन विस्थापन किया गया, और ऐसे मुश्किल समय में लोगों की फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

उसी समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) ने ४१ नए कोयला खंडों के खुलने की घोषणा की।

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. देश में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों (सी.सी.ए. क्षेत्र) के व्यापक विस्तार के विषय में पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिली है और वे अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कारण खतरे में हैं। महामारी के दौरान ही, कई स्थानीय समुदाय, जहां एक ओर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं वे अपने संरक्षित पारिस्थितिकीय तंत्रों को बचाने के लिए भी लड़ रहे थे। इसमें राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में ओरान के धार्मिक महत्व रखने वाले ८००० हेक्टेर में फैले वन शामिल हैं जिन्हें उनके आसपास रहने वाले समुदाय ६०० से अधिक वर्षों से संरक्षित रखते आए हैं, और उनका महरित ऊर्जाफपैदा करने के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए विनाश किया जा रहा है।

एक अन्य उदाहरण है वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अज्ञात समय से स्थानीय समुदाय सुरक्षित रखते आए हैं और जिस क्षेत्र से अंग्रेज़ों तक को दूर रहना पड़ा, और वहाँ अब दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के आने का खतरा है। बस्तर में साँध कुमारी – केन्द्रीय भारत के सबसे बड़े धार्मिक महत्व वाले वनों में से एक, जो कि १०० एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, में सी.ए.एम.पी.ए. के अंतर्गत वनीकरण किया जा रहा है।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के आधार पर, निम्नलिखित संस्तुतियाँ उभर कर आती हैं:

१. स्व-प्रशासन की संस्थाओं का कानूनी सशक्तिकरण किया जाना चाहिए जिससे कि वे उनकी पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों में भागीदारी कर सकें (जिसमें वनाधिकार अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तारीकरण अधिनियम शामिल है)। इन कानूनों का क्रियान्वयन बेहद खराब है और इसे अभियान स्तर पर किया जाना चाहिए;

२. वनों के अतिरिक्त अन्य पारिस्थितिकीय तंत्रों, जैसे कि समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों, घास के मैदानी क्षेत्रों और जलक्षेत्रों के लिए भी एफ.आर.ए. और पी.ई.एस.ए. जैसे अधिकार-आधारित कानून बनाए जाने चाहिए;

३. वन्यजीव संरक्षण, पुनः-वनीकरण (जिसमें सी.ए.एम.पी.ए. धनराशि के माध्यम से वनीकरण शामिल है), और अन्य पारिस्थितिकीय कार्यक्रमों के नाम पर पारिस्थितिकीय तंत्र आश्रित समुदायों के विस्थापन और निर्वासन पर तुरंत रोक लगाई जाए;

४. पारिस्थितिकीय नवीनीकरण, वन्यजीव एवं जैवविविधता संरक्षण को मानवीय आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से अलग देखने के मौजूदा संरक्षण संबंधी वैश्विक नज़रिये और रूपावली को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नए संरक्षण प्रशासन में ज़रूरी होगा कि शहरी और ग्रामीण समुदाय अपने आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्रों का प्रशासन करने के लिए सशक्त हों (अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के साथ), और उन्हें सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के रूप में मान्यता और सहयोग दिया जाए। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जैसे कि कन्वेन्शन ऑन बायोलाजिकल डाईवर्सिटी, में अपनी वचनबद्धता पूरी करने में भी मदद मिलेगी।

लेखक: नीमा पाठक ब्रूम (neema.pbgmail.com)

संस्था: कल्पवृक्ष

वेबसाईट: www.kalpavriksh.org

✦✦

४. आशा की किरण

मणिपुर की लोकटक झील के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी

सलाम राजेश

पृष्ठभूमि

लोकटक मीठे पानी की झील के प्राकृतिक संसाधन इसके आसपास और उसकी परिधि के आसपास रहने वाले परिवारों के लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ प्रदान करते हैं। यह झील विविध प्रकार के पक्षिजात, प्रवासी जल पक्षियों, पशुवर्ग और वनस्पतियों के लिए आवास प्रदान करती है। १०५ मेगावाट क्षमता के लोकटक बहु–उद्देशीय जलविद्युत परियोजना के क्रियान्वयन, जिसे कई वर्ष पहले १९७१ में सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था और वर्ष १९८३ में कमिशन किया गया, के कारण पूरी झील का पारिस्थितिकीय तंत्र भंग हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैवविविधता का नुकसान और मानवीय जनसंख्या का विस्थापन हुआ।

हालांकि सरकार द्वारा झील के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, हर चीज़ योजना अनुसार नहीं हुई है। झील के लिए एक प्रभावकारी संरक्षण एवं प्रबंधन योजना न होने के कारण, यह जलक्षेत्र कई कारणों से मबढ़ती उम्रम की प्रक्रिया में दिखाई दे रही है। जो मछुआरे झील के संसाधनों पर आश्रित थे, उनके लिए झील के संरक्षण के तरीकों के बारे में सोचना ज़रूरी हो गया है जिससे कि उनकी आजीविकाएँ और उत्तरजीविता सुरक्षित रहे।

प्रस्तावना

मणिपुर का कुल क्षेत्रफल २२,३२७ वर्ग कि.मी. है, और यह राज्य उत्तर–पूर्वी भारत के जैव–भौगोलिक ज़ोन १ के असम हिल्स प्राविन्स के अंतर्गत आता है। मणिपुर रणनीतिक रूप से, बर्मा, चीन और भारत के वन्यजीव एवं वनस्पतियों के चौराहे पर खड़ा है। मणिपुर के पारिस्थितिकीय तंत्र के दो परस्पर संबंधित बायोम हैं, जलक्षेत्र और वन। लोकटक पट जलक्षेत्र, जो कि मणिपुर घाटी के दक्षिणी क्षेत्र की ओर स्थित है, मणिपुर की प्राकृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। मणिपुर भारत–बर्मा जैविविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जैविक जीवों की व्यापक विभिन्नता पाई जाती है – जिनमें से कुछ दुनिया के लिए स्थानिक और दुर्लभ हैं।

लोकटक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। २८९ वर्ग कि.मी. जलक्षेत्र (जिसे लोकटक विकास प्राधिकरण की २०१६ के रिपोर्ट के अनुसार, कागजों में बदल कर २३६.२१ वर्ग कि.मी.कर दिया गया है) के साथ, यह झील जैविविधता सम्पन्न है और यह इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय और आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। लोकटक और उससे संबंधित जलक्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास स्थल हैं, जैसे कि सबसे छोटे सूक्ष्म पौधों से लेकर बड़े कशेरुकी प्राणियों तक, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। इस झील को वर्ष १९९० में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह झील इम्पॉर्टन्ट बर्ड एरिया (आई.बी.ए.) स्थल भी है क्योंकि यहाँ स्थानीय रिहायशी पक्षिजात और प्रवासी जल पक्षियों की व्यापक विविधता पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजातियाँ सर्दियों में यहाँ आराम करने के लिए यूरोप और चीन जैसे दूर के क्षेत्रों से भी आती हैं।

लेकिन, पिछले कुछ दशकों में, लोकटक परियोजना के इथाई बांध बनने के कारण, लोकटक पारिस्थितिकीय तंत्र काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले दशकों में झील में कई गतिविधियों – जिनमें इथाई का कॉफर बांध, झील की सतह से गाद निकालने के लिए तलमार्जन गतिविधियां, छँटाई, अतिक्रमण, और जलक्षेत्र का भौतिक रूपांतरण शामिल है – इन सब ने झील के पारिस्थितिकीय तंत्र को क्षति पहुंचाने में योगदान किया है। लोकटक और उससे जुड़ी नदीय प्रणालियों की जलविज्ञान व्यवस्था में बदलाव आने के कारण आवास क्षेत्रों में बदलाव, जिनका प्रमुख कारण लोकटक परियोजना है, वहाँ पर आने वाले प्रवासी जल पक्षियों और मछली जनसंख्या में गिरावट के महत्वपूर्ण कारण हैं। लोकटक विकास प्राधिकरण और वेट्लैन्ड इंटरनेशनल – साउथ एशिया भी सहमत हैं कि जलक्षेत्र की पारिस्थितिकीय विशेषताओं में बदलावों और पिछले कुछ दशकों में शिकार के कारण, प्रवासी एवं निवासी जल पक्षियों की जनसंख्या में कमी आई है। कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (के.एल.एन.पी.) में संगई हिरण के आवास स्थल में क्षति होने के कारण यह प्रजाति खतरे में आ गई है (समाचारपत्र मलोकटकफ खंड १, अक्टूबर १९९९)।

मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव

लोकटक झील और उससे जुड़े जलक्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियां मणिपुर में कुल मछली उत्पादन का ६०% हिस्सा हैं। म्यानमार में चिंडविन–इरावड्डी नदी प्रणाली से ऊपर की ओर आने वाली प्रवासी मछली प्रजातियाँ झील और उसके आसपास के आर्द्र क्षेत्रों में होने वाले मत्स्य पालन में लगभग ४० प्रतिशत योगदान करती हैं। इथाई बांध के निर्माण के बाद से, मछली उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिससे पारंपरिक मछली पालन और उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। उसके बाद से राज्य मत्स्य विभाग ने कमी पूरी करने के लिए विदेशी कार्प मछली पैदा करने का प्रयास किया। एक लाख से अधिक लोग अपनी आजीविकाओं और उत्तरजीविता के लिए लोकटक के मछली उत्पादन पर निर्भर हैं। लोकटक परियोजना के कारण आए बदलावों के कारण पारंपरिक जीवनशैली में बहुत क्षति पहुँची है और साथ ही स्थानीय मछुआरों की आमदनी की क्षमता भी कम हो गई है।

इथाई बांध के निर्माण का झील के प्राकृतिक पर्यावरण और जैवविविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रोफ. हिजम तोंबी सिंह (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जीव विज्ञान विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय) और आर.के. श्यामानंदा (भूतपूर्व निर्देशक, मणिपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काउनसिल, मणिपुर सरकार) के अनुसार, इसके कारण लगभग २० से अधिक आर्थिक एवं वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली जलीय पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। इसके कारण मछलियों की विभिन्न देशज प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं जो पारंपरिक रूप से चिंडविन–इरावड्डी नदी प्रणाली से मणिपुर नदी के रास्ते (जो उसकी उप–नदी है) ऊपर की ओर प्रवास करती थीं। इसके कारण फूंदी एकत्रित होने लगी और परिणामस्वरूप उस पर बने तैरने वाली झोपड़ियाँ स्थायी रूप लेने लगीं, और झील में घरेलू अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से सुपोषण तेज़ी से बढ़ने लगा।१ इसके कारण प्रवासी जल पक्षियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आ गई। फलस्वरूप फूंदी की परत पतली हो गई और कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क की विलुप्तप्रायः प्रजाति मणिपुर ब्रो–ऐन्टलीयर्ड हिरण व अन्य वन्यजीवों के आवास स्थल को क्षति पहुँची (रामसर साइट्स ऑफ इंडिया: लोकटक लेक, डब्लू.डब्लू.एफ., १९९४, पृष्ठ ३२)।

लोकटक के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास

५ अप्रैल, २००६ को मणिपुर सरकार ने एक नया कानून पारित किया जिसका शीर्षक है ममणिपुर लोकटक (संरक्षण) अधिनियम, २००६फ, जिसके माध्यम से सरकार ने लोकटक झील का प्रशासन और प्रबंधन अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था झील के पारिस्थितिकीय तंत्र को हो रही क्षति को रोकना और उसके स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करना। अधिनियम राज्य सरकार को शक्ति देता है कि, लोकटक विकास प्राधिकरण (एल.डी.ए.) के प्रतिनिधित्व में, वह झील की सुरक्षा, परिरक्षण और संरक्षण के लिए काम करे। राज्य सरकार ने जनवरी २०१० से शुरू करके तीन वर्षों के अंदर झील में तैरते बायोमास को साफ करने के लिए, केंद्र सरकार से विशेष योजना सहयोग के अंतर्गत रु.३७८ करोड़ की मांग की। एल.डी.ए. झील के पश्चिमी जलग्रहण क्षेत्र के सूक्ष्म–पनढाल क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव कम करने और झील में प्रति वर्ष भारी मात्रा में गाद भरने से रोकने के लिए भी काम कर रही है।

सामुदायिक स्तर पर भी, झील के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। एक ऐसा प्रयास मणिपुर नेचर सोसाइटी ने टोकपा कबुई गाँव, जो कि थाँगजिंग – लोईचिंग शृंखला के पूर्वी मुख पर स्थित है और झील का पश्चिमी जलग्रहण क्षेत्र है, के साथ मिलकर शुरू किया। सोसाइटी ने समुदाय के स्वामित्व के लगभग ५५ हेक्टेयर वन भूमि पर काम किया, और उनका उद्देश्य था कि भविष्य में वे कुल १००० हेक्टेयर क्षेत्र पर काम करेंगे। उनका ज़ोर वनों के प्राकृतिक और सहयोग–प्राप्त पुनर्जनन पर था जिससके कि ऊपरी सतह की मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और सूक्ष्म–पनढाल क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सके, वनस्पतियों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो और क्षेत्र में वन्यजीवों की वापसी हो सके। पर्वतीय नदियों के किनारे सूक्ष्म वनस्पति रोधक बांध बनाए गए, और कुछ जलक्षेत्र बनाए गए जिससे कि नीचे बहने वाली गाद की गति को धीमा किया जा सके। इन जलक्षेत्रों में गांवों के लिए मछली पालन उपलब्ध करवाया गया। रोंगमे आदिवासी समूह के लड़कों और लड़कियों के लगभग ८० स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ टोकपा नेचर क्लब बनाया गया और वनों के समुदाय–आधारित प्रबंधन का ज़्यादातर काम इस क्लब के कार्यकर्ताओं ने संभाला।

टोकपा कबुई प्रयास के अतिरिक्त, झील के किनारे के क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कुछ प्रयास किए गए। कैबूल लामजाओ गाँव में स्थित संगई प्रोटेक्शन फोरम ने संगई तथा कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण पर काम किया था, और शिकार रोकने तथा बाढ़ के समय फंसे हुए वन्यजीवों को बचाने के मुद्दों को संबोधित किया था। अन्य संस्थाओं, जैसे कि नोंगमाईखोंग यूथ क्लब; खोईजुमान स्टूडेंट्स क्लब; निंगथोऊखोंग में स्थित जेनरेशन दे न्यू इमेज मणिपुर (जीनिम); और सेंटर फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर एण्ड कल्टिवेशन ऑफ साइंस (सी.सी.एन. सी.एस.), निंगथोऊखोंग ने अपने–अपने क्षेत्रों में सर्दी के प्रवासी जल पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम किया था। वर्ष २०१९ में, राज्य के वन विभाग ने सर्दियों के महीनों में अंडे देने वाले प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के साथ–साथ, उस क्षेत्र की निवासी पक्षिजात की सुरक्षा के लिए बिष्णुपुर ज़िले में थिनूनगेई गाँव के पास के झील के हिस्से को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया।

वर्ष २०११ में, लोकटक झील के चंपू खांगपोक तैरते गाँव में रहने वाले मछुआरों ने झील के लंबित चल रहे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एक संघ स्थापित किया जिसका नाम ऑल लोकटक लेक एरियाज़ फिशरमेन्स यूनियन, मणिपुर (ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम.) था। इनका प्रमुख ज़ोर झील के मौजूदा आजीविका संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर था, जैसे कि पारिस्थितिकीय तंत्र को हो रही क्षति जिसके कारण मछली और वनस्पति प्रजातियाँ कम हो रही थीं और उनकी आजीविकाओं तथा निर्वाह के साधनों को खतरा पहुँच रहा था। इस उद्देश्य के साथ, मछुआरों ने इम्फाल और बिष्णुपुर में रहने वाले संबंधित व्यक्तियों और नागरिक समाज संस्थाओं से इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और स्थलीय गतिविधियों के लिए मदद मांगी। वर्ष २०१२ के बाद से, ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. विभिन्न कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण का निरंतर आयोजन करता आया है जिससे कि झील के आसपास रहने वाले मछुआरा समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ा सके। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं द वर्ल्ड वेटलैण्ड्स डे, वर्ल्ड वाटर डे, इंटरनेशनल रिवर्स डे, इंटरनेशनल डे फॉर ईकोलॉजिकल डाईवर्सिटी, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।

फरवरी २०१९ में चमपु खाँगपोक तैरते हुए गाँव के लँगोलसाबी इलाके में वर्ल्ड वेटलैण्ड्स डे का आयोजन।
फोटो: दीपक शीजागुरुमयुम

चित्र: लोकटक के लिकलाई कारोंग क्षेत्र में इंटरनेशनल रिवर्स डे २०१८ का आयोजन। *फोटो: सलाम राजेश*

चित्र: फरवरी २०२० में चमपु खाँगपोक तैरते हुए गाँव के लँगोलसाबी इलाके में वर्ल्ड वेटलैण्ड्स डे का आयोजन।
फोटो: ऑइनम देबेन

जागरूकता और उत्प्रेरणा अभियानों के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की झील के संरक्षण के प्रति सक्रीय भागीदारी बढ़ाने के लिए, ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता है। जल निकाय में छोटी डोंगियों में सामूहिक रैली, जल निकाय के खरपतवार से भरे भाग में सफ़ाई और जन सुनवाइयाँ उनकी रणनीति का हिस्सा हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और यह उनके वर्ल्ड वेटलैण्ड्स डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर्यवेक्षण का हिस्सा है। ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. ने हाल में झील के बिराहरी पट के एक हिस्से को यूनियन के दायरे के अंतर्गत संरक्षित मछली अभ्यारण्य घोषित किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था **(i)** अंडे देने के समय में मछली के बच्चों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना, **(ii)** मई, जून, जुलाई के समय क्षेत्र को बंद रखना, **(iii)** और मछली के बच्चों तथा अपरिपक्व मछलियों के अत्यधिक या अनियंत्रित शिकार को नियंत्रित करना।

मछली अभ्यारण्य घोषित करने के पीछे एक और उद्देश्य है अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले झील के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए उसको नियंत्रित और प्रशासित करना और सर्दी के महीनों में प्रवासी जल पक्षियों की सुरक्षा करना – अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच। ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. स्वैच्छिक कार्यकर्ता जल पक्षियों को

पकड़ने के लिए जाल बिछा कर उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखते हैं। इसके अतिरिक्त, ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. ने एक और प्रयास की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत वे जलीय वनस्पतियों जैसे कि सिंघाड़े के बीज लगाते हैं जिसे वे भोजन की तरह खाते हैं और इसे स्थानीय बाज़ार में बेचा भी जाता है। इथाई बांध के प्रत्यक्ष प्रभावों के कारण पिछले कुछ दशकों में, जलीय एवं अर्ध–जलीय वनस्पतियों की कई किस्में, जिन्हें भोजन की तरह खाया जाता है और उनका आर्थिक मूल्य भी है, झील से विलुप्त होने लगी थीं। ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. ऐसे पौधों को पुनः विकसित करना चाहता है जिससे विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकें, जैसे कि भोजन, आमदनी, और झील के पारिस्थितिकीय तंत्र को पुनः सशक्त करना।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसे ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. संबोधित करने का प्रयास कर रहा है, वह है झील के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण। इन दो दशकों में, झील के उत्तर में लगभग ५३ वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसमें लोग झील के क्षेत्र को कृषि और मछली उत्पादन फार्म बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ए.एल.एल.ए.एफ.यू.एम. ने राज्य सरकार व अन्य संबंधित विभागों से ऐसी नीति बनाने पर ध्यान देने को कहा है जिससे झील में अतिक्रमण व अन्य प्रकार के भौतिक बदलाव रोके जा सकें, जैसे कि जल निकाय के आर–पार सेतु बनाना। इस गतिविधि के कारण झील की पारिस्थितिकी को काफ़ी क्षति हुई है।

✧✧

५. निमंत्रण

आई.सी.सी.ए. संघ की सदस्यता

आई.सी.सी.ए. संघ नए सदस्यों का स्वागत करता है और गैर–सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा रखता है।

सदस्य ऐसी संस्थाएँ हैं जिनका गैर–मुनाफा स्वरूप है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सरकार से औपचारिक मान्यता प्राप्त हो। सदस्य संस्थाओं में निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएँ शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- देशज और पारंपरिक आदिवासियों, देशों और लोगों, और उनके प्रथागत नेटवर्क, असोसिएशन और फेडरेशन;
- पारंपरिक स्थानीय समुदाय और उनके प्रथागत नेटवर्क, असोसिएशन और फेडरेशन;
- देशज समुदायों और स्थानीय समुदायों द्वारा स्वयं शुरू किए गए समूह और संस्थाएँ जो उनके अपने संचायती अधिकारों को बढ़ावा देने और/ या सतत आजीविकाएँ चलाने और प्रकृति के संरक्षण के प्रति समर्पित हों; और
- नागरिक समाज संस्थाएँ जो देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अधिकारों, सतत आजीविकाओं और प्रकृति के संरक्षण के मुद्दों पर काम करती हों।

मानद सदस्यों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो आई.सी.सी.ए. क्षेत्रों पर विशेषज्ञता रखते हों, जिन्हें संघ के किसी एक सदस्य, एक अन्य मानद सदस्य, संचालन कमिटी, या सचिवालय के सदस्य ने नामित किया हो।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iccaconsortium.org देखें। यदि आप सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कल्पवृक्ष से संपर्क करें, जो कि आई.सी.सी.ए. संघ का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय समन्वयक है। कृपया iccasouthasiagmail.com पर ईमेल लिखें।

✧✧

६. प्रत्याशा में

नेपाली हिमालय में सुंबा टेरिटरी ऑफ लाइफ में अहिंसा उद्घोषणा के १०० वर्ष

उत्तर–पश्चिमी नेपाली हिमालय की तलहटी में, सुम घाटी (ऊंचाई: ३००० मीटर समुद्र तल के ऊपर) के सुंबा देशज समुदाय के लोग, १७–२० अप्रैल, २०२० के बीच शयज्ञ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करने वाले थे। इस उत्सव के माध्यम से वे सुंबा लोगों और उनके लामाओं द्वारा ऊपरी सुम घाटी के अहिंसावादी होने की उद्घोषणा के १०० वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने वाले थे। इस उद्घोषणा के सात प्रमुख निर्देश थे:

१. शिकार पर निषेध;
२ जाल./पिंजरे लगाने पर निषेध;
३. शहद निकालने पर निषेध;
४. मवेशियों की बिक्री पर निषेध;
५. हिमालयी गायों के बछड़ों, और अन्य जलीय एवं स्थलीय प्रजातियों के खिलाफ हिंसा पर निषेध;

६. मांस के लिए जानवरों के आयात और निर्देश पर लगाए गए नियमों का सम्मान;

७. वनों और पहाड़ों पर आग लगाने पर प्रतिबंध।

सुम घाटी एक बेयूल (पवित्र शरण स्थल) है जिसे गुरु रिंगपोचे ने स्थापित किया था, जिन्होंने नेपाल में ८ वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यह घाटी, आध्यात्मिक महत्व रखने वाली एक पवित्र जगह, बौद्ध सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं, सुंबा लोगों के संस्थानों, और समर्पित नेताओं और मठों के श्रद्धेय लामाओं द्वारा कायम है। सुम घाटी का यह जीवन क्षेत्र नेपाल के आधिकारिक संरक्षित क्षेत्रों, जैसे कि १९९८ में स्थापित मनसलु संरक्षित क्षेत्र (आई.यू.सी.एन. श्रेणी तख) से पहले से चला आ रहा है। इस विस्तृत संरक्षित क्षेत्र, जिसमें सुम घाटी भी शामिल है, का सह-प्रबंधन नैशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंज़रवेशन और कंज़रवेशन एरिया मैनेजमेंट कमिटी द्वारा किया जाता है।

ऊपरी सुम (जिसमें ११ बस्तियां हैं) को वर्ष १९२० में अहिंसक घोषित किया गया, और निचली सुम घाटी (जिसमें २२ बस्तियां हैं) ने वर्ष २०१२ में शयज्ञ उत्सव के दौरान अहिंसा के प्रति अपनी वचनबद्धता की घोषणा की। यह उद्घोषणाएँ सामुदायिक सहमति के माध्यम से की गईं।

नीमा लामा, सुंबा समुदाय के एक नेता, ने एक इंटरव्यू में कहा: हम इस घाटी को एक खुला प्राकृतिक संग्रहालय मानते हैं, जहां वन्यजीव बरकरार हैं और आज़ादी से घूमते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हम शयज्ञ उत्सव मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जैवविविधता और संस्कृति के संरक्षण प्रति हमारी वचनबद्धता को व्यक्त करने के लिए मनाना चाहते हैं। इस उत्सव के लिए हमारा नारा है अहिंसा को अभियान: सुम बसिको पहिचान (अहिंसा का अभियान: सुम वासियों की पहचान)।

इस चार दिवसीय उत्सव की योजना में शामिल था: प्रकृति की पूजा जिसे रिलुंग थ्रीसोले के नाम से जाना जाता है और यह पूजा मनुष्यों, वन्यजीवों व अन्य प्रजातियों के लिए कल्याणकारी, तथा सूर्य और वर्षा के लिए अच्छी मानी जाती है; चेवाङ पूजा स्वास्थ्य के लिए; सांस्कृतिक गतिविधियां (गीत, नृत्य, खेल); पवित्र झंडों और खंभों की स्थापना; विश शांति के लिए मार्च; और अहिंसा की वचनबद्धताओं और नियमों पर सुंबा लोगों के सामूहिक हस्ताक्षर। सुंबा ने योजना बनाई थी कि उन्होंने जिस अहिंसा क्षेत्र को चिह्नित और घोषित किया है उसकी चारों दिशाओं (चार खिल्ला) के लिए सरकार से मान्यता और स्वीकृति की मांग करेंगे। इसे सुंबा टेरिटरी ऑफ लाइफ, परंपराओं, और अहिंसा के अभ्यास के साथ-साथ इस जगह के पवित्र और आध्यात्मिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त करने, उसके जैव-सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व, और मौजूदा मनसलु संरक्षित क्षेत्र के पूरक को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

ऊपरी सुम घाटी के गाँवों, जहां इस उत्सव का आयोजन होना था, में सबसे नज़दीकी सड़क से ४-५ दिन की पैदल यात्रा के बाद ही पहुँच जा सकता है, या फिर किराये पर हेलिकाप्टर के माध्यम से।

कोविड महामारी के कारण इस उत्सव को अग्रिम सूचना तक की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है।

आई.सी.सी.ए. संघ सदस्य सुदीप जाना थिंग (नीमा लामा और जैलब राय के सहयोग से) द्वारा यह जानकारी साझा की गई।

✦✦

पाठकों के लिए संदेश:

प्रिय पाठकों, यदि आप समुदाय व संरक्षण की प्रति किसी अलग पते पर प्राप्त करना चाहते है तो कृपया हमें अपना पता milindwani@yahoo.com पर या नीचे लिखे पते पर भेज दें।

कल्पवृक्ष

डॉक्यूमेन्टेशन ऐंड आउटरीच सेन्टर, अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना,

पुणे ४११००४. महाराष्ट्र – भारत

वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

समुदाय व संरक्षण : जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा संस्करण अंक ९, नं. ५ जनवरी – जून २०२१

विषय वस्तु में योगदार : श्रुति अजीत, तान्या मजूमदार, नीमा पाठक ब्रूम

संकलन एवं संपादन : मिलिन्द वाणी

संपादकीय सहयोग : अनुराधा अर्जुनवाडकर

अनुवाद : निधि अग्रवाल

प्रकाशक :
कल्पवृक्ष,
अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८,
डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४.
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ई–मेल : KVoutreach@gmail.com,
वेबसाइट : www.Kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर, आचेव, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,